राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–391) अलेसे– I/1084–89 दिनांकः–01/09/22

## आदेश

श्री भरत लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल (करौली) के विरूद्व फर्जी भुगतान, राजकोष को हानि पहुचाने एवं गबन किया जाना पाये जाने के कारण कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज (पंचायतीराज) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर अपने आदेश क्रमांक 1921 दिनांक 10.12.2020 द्वारा श्री मीना को निलम्बित कर मुख्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा किया गया था। उक्त आदेश की पुष्टि निदेशालय के आदेश कमांक 1361 दिनांक 15.12.2020 द्वारा कर श्री मीना का निलम्बन काल मुख्यालय कोषालय, करौली किया गया।

श्री मीना द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 10352/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2021 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–

"The petitioner is aggrieved against the order dated 15.12.2020 (Annes,-1), whereby he has been placed under suspension.

Submissions have been made that already charge-sheets have been issued to the petitioner and there remains no reason for the respondents to continue with the suspension of the petitioner.

Reliance has been placed on Ajay kumar Chaoudhray v. UOI & Ors,: 2015(7) SCC291 and Manvendra Singh v. State of Raj. & Ors.: SBCW No. 4276/2018, decided on 21.12.2018.

In the overall facts and circumstance of the case as projected by learned counsel for the petitioner as well as the law laid down by this court in the case of Manvendra Singh (supra). the petition filed by the petitioner is disposed of.

The petitioner may make a detailed representation to the Competent Authority and the Competent Authority is directed to pass appropriate order on the representation made by the petitioner keeping in view the provisions of Rule 13(5) of the Rules of 1958 as well as the judgments in the case of Ajay Kumar Choudhary (supra) and Manvedra Singh (supra)."

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के उक्त आदेश के क्रम श्री भरत लाल मीना ने दिनांक 20.09.2021 को अपना अभ्यावेदन इस निदेशालय को प्रस्तुत किया। श्री मीना को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज (पंचायतीराज) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा निलम्बित किया जाने के कारण उक्त अभ्यावेदन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज (पंचायतीराज) विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत करने बाबत निदेशालय के पत्र क्रमांक 859 दिनांक 01.10.2021 को लिखा गया।

साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 17.09.2021 के अनुसरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशालय के पत्र क्रमांक 863 दिनांक 01.10.2021, पत्र क्रमांक 941 दिनांक 08.11.2021 एवं पत्र कमांक 42 दिनांक 12.04.2022 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज (पंचायतीराज) विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखा गया, परन्तु आदिनांक तक इस निदेशालय को उक्त संबंध में सूचना अप्राप्त है।

कार्मिक (क–3/जांच) विभाग द्वारा संयुक्त जांच के क्रम में जारी ज्ञापन दिनांक 10.11.2021 में श्री भरतलाल मीना, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी–। कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल (करौली) के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप निर्धारित किया गया हैः– "यह है कि आप श्री भरत लाल मीना, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, पंचायत समिति, मण्डरायल के पद पर रहते हुए उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल ने पंचायत समिति, मण्डरायल द्वारा एफएफसी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में मिलीभगत कर फर्म मीरा एन्टरप्राईजेज को फर्जी भुगतान करने के संबंध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत

समिति, मण्डरायल द्वारा एफएफसी योजनान्तर्गत पंचायत समिति, मद से 25 कार्यों की स्वीकृत राशि रूपये 53,60,000/– के विरूद्ध फर्म मीरा एन्टरप्राईजेज को सामग्री भुगतान हेतु राशि रूपये 39,50,000/– का भुगतान किया गया। तहसीलदार मण्डरायल, सहायक अभियंता, पीएचईडी, कनिष्ठ अभियंता, पीएचईडी द्वारा कार्यों की जांच में मौके पर कोई कार्य नहीं होना पाया गया है। संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन/जांच के दौरान माप पुस्तिका का प्रमाणन नहीं होना, कार्यों का इन्द्राज नहीं होना, जारीकर्ता के हस्ताक्षर, एमबी नम्बर इत्यादि अंकित नहीं होना, विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना आदि कमियां पायी गई। संयुक्त जांच टीम द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त अनियमितता के लिए आप एवं निम्नलिखित अधिकारी जिम्मेदार हैः–

1. श्री रामखिलाड़ी कोली, सहायक अभियंता, पंचायत समिति, मण्डरायल
2. श्री कन्हैयालाल वर्मा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डरायल

इस तरह आप एवं उक्त कार्मिकों द्वारा एफएफसी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में मिलीभगत कर फर्म मीरा एन्टरप्राईजेज को फर्जी भुगतान कर राजकोष से राशि रूपये 39,50,000/– (अक्षेर उनतालीस लाख पचास हजार रूपये) मिलीभगत कर गबन करना एवं राजकोष को हानि पहुंचाया जाना प्रतीत होता है।

आपका उक्त कृत्य आपकी राजकार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता को दर्शाता है एवं आपके द्वारा मिलीभगत कर अनुचित तरीके से राजकोष को हानि पहुंचाये जाने की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।"

राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवे अपील) नियम 1958 के नियम 13(5) मे निम्न वर्णित हैः– "इस नियम के अधीन जारी किया गया निलम्बन का आदेश, किसी भी समय, उक्त आदेश देने वाले या देने वाले समझे गये प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, निरस्त किया जा सकेगा, जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।"

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त नियम के परिपेक्ष्य में श्री मीना के अभ्यावेदन पर विचार किया गया। श्री भरत लाल मीना, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल (करौली) के द्वारा राजकार्य के प्रति गम्भीर लापरवाही एवं राजकोषीय हानि किये जाने के अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के आरोप हैं। इसलिये श्री मीना को निलम्बन से बहाल किया जाना लोकहित में उचित प्रतित नहीं होता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के क्रम में श्री भरत लाल मीना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–391) अलेसे– I/1084-89 दिनांकः–01/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/जांच ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव निदेशक, कोष एवं लेखा, कार्यालय हाजा।
6. श्री भरत लाल मीना, (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यालय कोषालय करौली।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)